कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

e-mail-ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक/6 (अ) लाय./2011/1695 ग्वालियर, दिनांक 30.12.2011

प्रति,

मेसर्स ....

विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी–3/एफ.एल.–9/9–क) लायसेंसी एवं

बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/10–ख) लायसेंसी,

....मध्यप्रदेश।

विषयः– आबकारी विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर संग्रहित की जाने वाली विदेशी मदिरा के वर्ष 2012–13 के लिए लेबिलवार घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों को मान्य किया जाना एवं तद्नुसार परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price–MSP**) तथा अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price–MRP**) का अनुमोदन किया जाना।

वर्ष 2012–13 में आबकारी विभाग के नियंत्रणाधीन वर्तमान में संभागीय जिला मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा तथा जिला मुख्यालय सिवनी के साथ–साथ, इटारसी (जिला होशंगाबाद) एवं सनावद (जिला खरगौन) में स्थापित व संचालित विदेशी मदिरा भाण्डागारों से दिनांक 01.04.2012 से विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लायसेंसियों को उनकी मांग अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) तथा विदेश में निर्मित तथा मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर आदि) का प्रदाय, इस कार्यालय के स्थायी परिपत्र क्रमांक 6 (अ) वि.म./2009/214–215 दिनांक 18.02.2009 में विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। इसके लिए समस्त विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी–3/एफ.एल.–9/9–क) लायसेंसियों एवं बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/एफ.एल.–10–ख) लायसेंसियों द्वारा उनके कांच अथवा पेट बोतलों में, बोतल बन्द विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) की समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुये, लेबिलवार एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें घोषित कर, उसे मान्य कराया जाना तथा प्रत्येक लेबिल एवं धारिता की बोतल/कैन (नग) के परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** तथा अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

1. आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा अपने विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) की लेबिलवार एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें (समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुए) प्रति पेटी **(Per Case)** आधार पर घोषित की जायेंगी। विदेशी मदिरा (बीयर) एवं विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा को छोड़कर, अन्य विदेशी मदिरा विनिर्माताओं द्वारा राज्य में स्थापित समस्त विदेशी मदिरा भाण्डागारों के लिए अपने कांच अथवा पेट बोतलों में बोतल बन्द विदेशी मदिरा उत्पादों (स्पिरिट तथा वाईन आदि) की लेबिलवार औसत आधार पर मैग्नम, क्वार्ट, पिन्ट, निप, 90 मिलीलीटर एवं इससे कम धारिता की (मिनिएचर) बोतलों की धारिता एवं एक पेटी में ऐसे नगों की संख्या

का उल्लेख करते हुए, प्रतिपेटी **(Per Case)** एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें, सभी विदेशी मदिरा भाण्डागारों के लिए एक समान घोषित की जायेंगी।

2. विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाइन एवं बीयर आदि) की औसत आधार पर मैग्नम, क्वार्ट, पिन्ट, निप, 90 मिलीलीटर एवं इससे कम धारिता की (मिनिएचर) बोतलों के लिये, प्रतिपेटी **(Per Case)** एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें, एक समान घोषित किये जाने का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। लेकिन उपरोक्तानुसार घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें, मध्यप्रदेश राज्य के समस्त विदेशी मदिरा भाण्डागारों के लिए एक समान रहेगी।

3. विदेशी मदिरा (बीयर) की विविध धारिता की बोतलों अथवा कैन्स की लागत आधार पर भिन्नता के कारण, प्रतिपेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें, औसत आधार पर एक समान घोषित किये जाने का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। लेकिन उपरोक्तानुसार घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरें, मध्यप्रदेश राज्य के समस्त विदेशी मदिरा भाण्डागारों के लिए एक समान रहेगी।

4. मध्यप्रदेश में स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माणी (एफ.एल.–9/एफ.एल.–9–क) लायसेंसी द्वारा ही विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन आदि) उत्पादों की रूपये 800/– प्रति पेटी से कम एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर घोषित की जा सकेगी। लेकिन ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक विदेशी मदिरा उत्पादों की एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर, रूपये 700/– प्रति पेटी से कम नहीं होगी। मध्यप्रदेश के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता लायसेंसी को **संलग्न प्रारूप–एक** में इस आशय का नोटराइज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, उनके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में आयात कर प्रदाय किये जाने वाले, विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) की किसी भी अन्य राज्य में घोषित प्रदाय दर रूपये 800/– प्रति पेटी से कम नहीं है। यह प्रतिबन्ध बीयर के लिए लागू नहीं होगा।

5. विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी–3/एफ.एल.–9/9–क) लायसेंसियों एवं बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/एफ.एल.–10–ख) लायसेंसियों द्वारा अपने विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) के प्रतिपेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों को मान्य किये जाने हेतु आवेदन–पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तुत किया जायेगा।

(1) आवेदन पत्र में ब्राण्ड/लेबिल का नाम अंग्रेजी भाषा में ठीक उसी प्रकार अंकित किया जायेगा, जैसा कि लेबिल पंजीयन आदेश/लेबिल पंजीयन नवीनीकरण आदेश में अंकित है।

(2) विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई द्वारा अपने विदेशी मदिरा उत्पाद के ब्राण्ड /लेबिल का नाम एवं प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर के आधार पर न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** तथा अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** का गणना पत्रक, निम्नलिखित बिन्दु क्रमांक 9 में उल्लेखित अनुसार, एक्सेल शीट में तैयार कर संलग्न किया जायेगा।

(3) विदेशी मदिरा उत्पाद (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) की पैकिंग कांच की बोतलों में हैं या पेट बोतलों में है, इसे स्पष्ट करने के साथ–साथ उसके लेबिल पंजीयन/

लेबिल पंजीयन नवीनीकरण का क्रमांक भी आवेदन पत्र में अंकित किया जायेगा।

(4) विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी–3/एफ.एल.–9/9–क) एवं बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क) लायसेंसी द्वारा अपने विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) के ब्राण्ड/लेबिलों की एक पेटी में पैक की गई बोतलों (मैग्नम, क्वार्ट, पिन्ट, निप, 90 मिलीलीटर एवं इससे कम धारिता की मिनियेचर) की संख्या एवं उसकी नगवार धारिता का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में किया जायेगा।

(5) बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–ख) लायसेंस के अन्तर्गत विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा उत्पादों (स्पिरिट, वाइन एवं बीयर आदि) की मैग्नम, क्वार्ट, पिन्ट, निप, 90 मिलीलीटर एवं इससे कम धारिता की (मिनिएचर) बोतलों की धारिता (साईज) तथा पैकिंग (एक पेटी में बोतलों/कैन्स की संख्या) का वही विवरण आवेदन पत्र में उल्लेखित किया जायेगा, जैसा कि लेबिल पंजीयन/लेबिल पंजीयन नवीनीकरण आदेश/लायसेंस में उल्लेखित है।

6. विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी–3/एफ.एल.–9/एफ.एल.–9–क) लायसेंसियों एवं बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/एफ.एल.–10–ख) लायसेंसियों द्वारा उनके विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पादों की एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों को मान्य किये जाने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(1) मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पादों के लेबिल पंजीयन आदेश/लेबिल पंजीयन नवीनीकरण आदेश की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।

(2) राज्य के बाहर स्थापित विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई को वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/एफ.एल.–10–ख) लायसेंस की प्रमाणित छायाप्रति अथवा वर्ष 2011–12 के लायसेंसी को, वर्ष 2012–13 के लिये लायसेंस की पुनःस्वीकृति के उद्देश्य से जमा कराई गई लायसेंस फीस के कोषालय चालान की, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।

(3) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996, लायसेंस की शर्तों, प्रतिबन्धों एवं निर्देशों का सम्यक पालन न करने की दशा में, आरोपित की जाने वाली शास्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार की शासन को देय राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिये, राज्य में स्थापित विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी–3/एफ.एल.–9/एफ.एल.–9–क) लायसेंसी की स्थिति में राशि रूपये 1,00,000/– (एक लाख) प्रतिभूति के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पक्ष में जारी एवं भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या बैंक कैश आर्डर अथवा संलग्न प्रारूप में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के

पक्ष में जारी एवं दिनांक 30 जून 2013 तक की वैधता अवधि की रूपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार की गयी बैंक गारन्टी प्रस्तुत करना होगी।

(4) आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंसी को इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रों को प्राप्त करने हेतु, रूपये 100/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर जारी किये गये अधिकार पत्र में इस हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति के पासपोर्ट साईज के फोटो एवं हस्ताक्षर की नोटराइज्ड प्रति मूलतः प्रस्तुत करना होगी।

(5) समस्त संभागीय उपायुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, जिला खरगौन, होशंगाबाद एवं सिवनी द्वारा दिनांक 01.01.2012 के बाद की तिथि में **संलग्न प्रारूप-दो** में जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके प्रभाराधीन विदेशी मदिरा भाण्डागार पर आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंसी पर, पूर्व वर्षो में अथवा वर्तमान वर्ष में 60 दिवस से अधिक अवधि से अविक्रीत एवं संग्रहित विदेशी मदिरा पर अधिरोपित की गई शास्ति अथवा अधिक मार्ग हानि के प्रकरणों में अधिरोपित की गयी शास्ति की कोई राशि वसूली हेतु अवशेष नहीं है। शास्ति की राशि की वसूली अवशेष होने की स्थिति में, आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

(6) फ्रैन्चाईजी अनुबन्ध की स्थिति में, जिस मूल विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस (बी-3/एफ.एल.-9) में बॉटलिंग की जा रही है, उस मूल विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंसी का आवेदन सह अधिकार पत्र।

(7) संबंधित मूल विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस (बी-3/एफ.एल.-9), जिसमें बॉटलिंग की जा रही है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित फ्रैन्चाईजी अनुबन्ध की छायाप्रति।

(8) आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माता/बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार लायसेंसी अथवा उनकी ओर से अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा **संलग्न प्रारूप-तीन** में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें यह घोषित किया गया होगा कि वर्ष 2012-13 की समाप्ति के पूर्व, उनके किसी विदेशी मदिरा उत्पाद (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) के लेबिल का यदि वर्ष 2013-14 के लिये नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर संग्रहित उक्त लेबिल की विदेशी मदिरा को दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तक उनके स्वयं के उत्तरदायित्व पर, संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई में वापिस ले जाया जायेगा। अन्यथा संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार पर दिनांक 30 अप्रैल 2013 की स्थिति में संग्रहित अवशेष ऐसे स्कन्ध को, आवेदक लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा। तद्नुसार आवेदक लायसेंसी द्वारा किसी प्रतितोष की मांग नहीं की जायेगी व उसे इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति भी नहीं होगी।

7. विदेशी मदिरा विनिर्माणी (बी-3/एफ.एल.-9/एफ.एल.-9क) लायसेंसियों/ बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.-10क/एफ.एल.-10ख) लायसेंसियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पादों की घोषित एवं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष

2012–13 के लिए मान्य की गई एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों में, वर्ष की अवधि में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव मान्य नहीं किया जायेगा। लेकिन प्रशासकीय आवश्यकता अथवा राजस्व हित संबंधी युक्तियुक्त कारणों के अधीन, आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रतिबन्ध को शिथिल किया जा सकेगा।

8. विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) के न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price- MSP**) के निर्धारण के लिये निम्न आधारों पर लागत राशियों को जोड़ा जायेगा :–

8.1 <u>**विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) के संबंध में**</u>

8.1.1 भारत निर्मित एवं विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा अपने विदेशी मदिरा उत्पादों (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) के संबंधित लेबिल की घोषित एवं आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये मान्य की गई प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर।

8.1.2 संबंधित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) लेबिल की प्रति पेटी देय ड्यूटी की राशि। **{देय ड्यूटी की राशि स्पिरिट तथा ब्रीजर के लिए घोषित प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर के निर्धारित प्रतिशत या निश्चित राशि (जो भी अधिक हो) के आधार पर तथा वाईन के लिए प्रति प्रूफ की दर से की परिगणित जायेगी}**

8.1.3 बेसिक लायसेंस फीस। **{लेबिल विशेष की व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि के लिये प्रति पेटी देय ड्यूटी की राशि का 122.2 प्रतिशत}**

8.1.4 परिवहन फीस। **{लेबिल विशेष की व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि के लिये विनिर्माता इकाई द्वारा घोषित एवं वर्ष 2012–13 के लिये मान्य की गई, प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 8 प्रतिशत}**

8.1.5 आयकर। **{लेबिल विशेष की व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि के लिये वर्ष 2012–13 हेतु मान्य की गई प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का एक प्रतिशत}**

8.1.6 अन्य व्यय। भारत निर्मित एवं विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा **{व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि के लेबिल की प्रति पेटी के लिए रूपये 200/–}**

8.1.7 उपरोक्त कण्डिका **8.1.1** से कण्डिका **8.1.6** तक वर्णित लागत राशियों का योग, लेबिल विशेष की विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) के लेबिल का प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price- MSP**) होगा।

8.1.8 उपरोक्त कण्डिका **8.1.7** अनुसार परिगणित राशि को पेटी में संग्रहित बोतलों (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बोतल (नग) का न्यूनतम विक्रय

मूल्य (**Minimum Selling Price- MSP**) होगा।

8.1.9 उपरोक्त कण्डिका **8.1.7** अनुसार परिगणित प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price- MSP**) में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस लेबिल विशेष की प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price- MRP**) होगा।

8.1.10 उपरोक्त कण्डिका **8.1.9** अनुसार परिगणित प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price- MRP**) को पेटी में संग्रहित बोतलों (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बोतल (नग) का अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price- MRP**) होगा।

8.2 <u>**विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (Bottled in Origin) आयातित (स्पिरिट तथा वाईन) तथा मध्यप्रदेश राज्य में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाइन) के संबंध में :-**</u>

विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट तथा वाईन) तथा मध्यप्रदेश राज्य में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाइन के किसी भी लेबिल के न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price- MSP**) के निर्धारण के लिये निम्न आधारों पर लागत राशियों को जोड़ा जायेगा :-

8.2.1 विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट/वाइन) तथा मध्यप्रदेश राज्य में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन पर आबकारी ड्यूटी देय नहीं है। अतः विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट/वाइन) तथा मध्यप्रदेश राज्य में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के मामले में उपरोक्त क्रमांक **8.1.2** तथा **8.1.3** में अंकित लागत व्यय को शून्य माना जाकर, उपरोक्त क्रमांक **8.1.1, 8.1.4, 8.1.5** एवं **8.1.6** में अंकित लागत व्यय का योग प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price -MSP**) होगा।

8.2.2 उपरोक्त कण्डिका **8.2.1** में परिगणित राशि को पेटी में संग्रहित बोतलों (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बोतल (नग) का न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price -MSP**) होगा।

8.2.3 उपरोक्त कण्डिका **8.2.1** अनुसार परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price -MSP**) में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने पर, प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस लेबिल विशेष की प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price- MRP**) होगा।

8.2.4 उपरोक्त कण्डिका **8.2.3** अनुसार परिगणित अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price- MRP**) को पेटी में संग्रहित बोतलों (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बोतल (नग) का अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price- MRP**) होगा।

8.3 <u>**भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर) के संबंध में :-**</u>

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर) के संबंधित लेबिल के न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price- MSP**) के निर्धारण के लिये निम्न आधारों पर लागत

राशियों को जोड़ा जायेगा :-

8.3.1 विनिर्माता इकाई द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर) के संबंधित लेबिल के लिए घोषित एवं आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये मान्य की गई, प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर।

8.3.2 संबंधित लेबिल की बीयर पर देय ड्यूटी की राशि। **{देय ड्यूटी की राशि की गणना उक्त लेबिल विशेष की बीयर के लिए घोषित प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर के निर्धारित प्रतिशत या निश्चित राशि (जो भी अधिक हो) के आधार पर परिगणित की जायेगी }**

8.3.3 बेसिक लायसेंस फीस। **{लेबिल विशेष की बीयर के लिए प्रति पेटी देय ड्यूटी का 122.2 प्रतिशत }**

8.3.4 परिवहन फीस। **{लेबिल विशेष की बीयर के लिये विनिर्माता इकाई द्वारा घोषित एवं आबकारी आयुक्त द्वारा मान्य की गई प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 8 प्रतिशत }**

8.3.5 आयकर। **{लेबिल विशेष की बीयर के लिये मान्य की गई प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का एक प्रतिशत**

8.3.6 अन्य व्यय। **{उपरोक्त क्रमांक 8.3.1 से क्रमांक 8.3.5 तक के योग का 20 प्रतिशत होगा }**

8.3.7 उपरोक्त कण्डिका **8.3.1** से **8.3.6** तक वर्णित लागत राशियों का योग, लेबिल विशेष की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर) का प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** होगा।

8.3.8 उपरोक्त कण्डिका **8.3.7** अनुसार परिगणित राशि को पेटी में संग्रहित बोतल/कैन (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बीयर की बोतल/कैन (नग) का न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** होगा।

8.3.9 उपरोक्त कण्डिका **8.3.7** अनुसार परिगणित प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने पर, प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस लेबिल विशेष की प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** होगा।

8.3.10 उपरोक्त कण्डिका **8.3.9** अनुसार परिगणित प्रति पेटी उच्चतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** को पेटी में संग्रहित बोतल/कैन (नग) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस लेबिल विशेष की बीयर की बोतल/कैन (नग) का अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** होगा।

8.4 <u>विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा (बीयर) के संबंध में :-</u>

विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (बीयर) के न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** के निर्धारण के लिये निम्न आधारों पर लागत राशियों को जोड़ा जायेगा :-

8.4.1 विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद **(Bottled in Origin)** आयातित बीयर पर आबकारी डयूटी देय नहीं है। अतः विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (बीयर) के मामले में

उपरोक्त क्रमांक **8.3.2** तथा **8.3.3** में अंकित लागत व्यय को शून्य माना जाकर, उपरोक्त क्रमांक **8.3.1, 8.3.4, 8.3.5** एवं **8.3.6** में अंकित लागत व्यय का योग, लेबिल विशेष की विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद **(Bottled in Origin)** आयातित बीयर का प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price -MSP)** होगा।

8.4.2 उपरोक्त कण्डिका **8.4.1** में परिगणित राशि को पेटी में संग्रहित बोतल/कैन (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बीयर की बोतल/कैन (नग) का न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price - MSP)** होगा।

8.4.3 उपरोक्त कण्डिका **8.4.2** अनुसार परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price -MSP)** में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने पर, प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस लेबिल विशेष की बीयर का प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** होगा।

8.4.4 उपरोक्त कण्डिका **8.4.3** अनुसार परिगणित अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** को पेटी में संग्रहित बोतल/कैन (नग) की संख्या से विभक्त करने पर प्राप्त उच्चतर पूर्णांक, उस धारिता की लेबिल विशेष की बीयर की बोतल/कैन (नग) का अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** होगा।

9. उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price -MSP)** तथा अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** का **संलग्न प्रारूप–चार** में एक्सेल शीट में तैयार किया गया गणना पत्रक, सी.डी. /पैन ड्राइव में आवेदन के साथ विहित समय–सीमा में प्रस्तुत किया जाये।

दिनांक 20.01.2012 तक वांछित अभिलेखों सहित, उपरोक्त निर्देशानुसार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों को ही विचार में लिया जाकर एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों को मान्य किये जाने एवं परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price–MSP**) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price–MRP**) के अनुमोदन की कार्यवाही की जायेगी। वांछित अभिलेखों के अभाव में अथवा निर्देशित प्रक्रिया के विपरीत अथवा विलंब से प्रस्तुत आवेदन पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा। तद्नुसार आपके विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पादों की वर्ष 2012–13 के लिये दिनांक 01–04.2012 से प्रभावी होने वाली एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों को मान्य किये जाने एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य (**Minimum Selling Price–MSP**) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (**Maximum Retail Price–MRP**) का अनुमोदन किये जाने में होने वाले किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये आप स्वतः उत्तरदायी होंगें।

संलग्नः–
उपरोक्तानुसार

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक 6 (अ) लाय./2012/ ग्वालियर, दिनांक 30.12.2011

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता../जिला आबकारी अधिकारी, जिला खरगौन, होशंगाबाद एवं सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त कण्डिका 6 (5) के अनुसार जारी किये गये प्रमाण पत्र की एक प्रति, सीधे इस कार्यालय को भी डाक से भेजा जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, जिला .... मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

प्रारूप–एक

शपथ–पत्र

मैं, ... पिता का नाम .... आयु ....वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि–

1. मैं, मेसर्स ....(यहां पर संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंसी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये), की ओर से अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी हूं। इस संबंध में आवश्यक अभिलेखों की नोटराईज़्ड प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।

2. मैं यह घोषित करता हूं कि मेसर्स .... (यहां पर संबंधित राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस अथवा मध्यप्रदेश राज्य में फ्रैन्चाइजी अनुबन्ध के अन्तर्गत स्थानीय विदेशी मदिरा विनिर्माणी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये), में विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) उत्पादों को बोतल बन्द किया जाता है। जिसे विदेशी मदिरा भाण्डागारों के माध्यम से, विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के लायसेंसी को विक्रय किया जायेगा।

3. मैं यह भी घोषित करता हूं कि उपरोक्त वर्णित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) उत्पादों की किसी भी अन्य राज्य में घोषित प्रदाय दर (Ex Factory Price) रूपये 800/– प्रति पेटी से कम नहीं है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

::सत्यापन लेख::

मैं शपथ गृहीता सत्य प्रतिज्ञा पर कथन सत्यापित करता हूं कि, उपरोक्त शपथ–पत्र के चरण एक से चरण तीन में अंकित समस्त कथन सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है न ही किसी तथ्य को छिपाया गया है। सत्यापन आज दिनांक .... को किया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रारूप–दो

शपथ–पत्र

मैं, ... पिता का नाम .... आयु ....वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि–

1. मैं, मेसर्स ....(यहां पर संबंधित राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस अथवा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस अथवा मध्यप्रदेश राज्य में फ्रैन्चाइजी अनुबन्ध के अन्तर्गत विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस का पूरा विवरण दर्ज किया जाये), की ओर से अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी हूं। इस संबंध में आवश्यक अभिलेखों की नोटराईज़्ड प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।

2. मैं विनिर्माणी लायसेंसी की ओर यह घोषित करता हूं कि वर्ष 2012–13 की समाप्ति के पूर्व, यदि किसी विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पाद के लेबिल का वर्ष 2013–14 के लिये नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर दिनांक 31 मार्च, 2013 को संग्रहित विदेशी मदिरा को, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तक विदेशी मदिरा विनिर्माता लायसेंसी के स्वयं के उत्तरदायित्व पर, संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई में वापिस ले जाया जायेगा।

3. मैं यह भी घोषित करता हूं कि उपरोक्त चरण दो में वर्णित अनुसार संग्रहित अवशेष विदेशी मदिरा के स्कन्ध को, यदि हमारे द्वारा संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार से दिनांक 30 अप्रैल 2013 तक मूल विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई में वापिस नहीं ले जाया जाता है तो, उक्त विदेशी मदिरा स्कंध को विदेशी मदिरा विनिर्माता लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा। तद्नुसार विदेशी मदिरा विनिर्माता लायसेंसी द्वारा किसी प्रतितोष की मांग नहीं की जायेगी व हमे इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति भी नहीं होगी।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

::सत्यापन लेख::

मैं शपथ गृहीता सत्य प्रतिज्ञा पर कथन सत्यापित करता हूं कि, उपरोक्त शपथ–पत्र के चरण एक से चरण दो में अंकित समस्त कथन सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है न ही किसी तथ्य को छिपाया गया है। सत्यापन आज दिनांक .... को किया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रारूप–तीन

कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग .... (मध्यप्रदेश)
कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला– .... (मध्यप्रदेश)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज प्रतिवेदन दिनांक .... को मेसर्स ....(यहां पर संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंसी/बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार लायसेंसी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये). .... (यहां पर लायसेंस प्रकार बी–3/एफ.एल.–9/एफ.एल.–9–ए अथवा एफ.एल.–10–ए/एफ.एल.–10–बी स्पष्ट अंकित किया जाये) लायसेंसी के विदेशी मदिरा उत्पादों के विदेशी मदिरा भाण्डागार ....(यहां पर स्थान का विवरण अंकित किया जाये) में अनावश्यक रूप से अवांछित एवं अविक्रित विदेशी मदिरा संग्रह पर अधिरोपित शास्ति एवं/अथवा अधिक मार्ग हानि से संबंधित किसी प्रकरण में अधिरोपित शास्ति की वसूली हेतु, कोई राशि अवशेष नहीं है/वसूली हेतु अवशेष रही राशि का विवरण निम्नानुसार है :–(जो लागू न हो उसे काट दिया जाये)

अविक्रित संग्रह पर शास्ति आरोपण के प्रकरणों में

क्रम	वर्ष एवं त्रैमास का विवरण	अविक्रित संग्रह पर शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश का क्रमांक व दिनांक	आरोपित की गई शास्ति की राशि	वसूल की गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

अधिक मार्ग हानि के प्रकरणों में

क्रम	वर्ष का विवरण	अधिक मार्ग हानि के पंजीबद्ध प्रकरण का दिनांक सहित विवरण	अधिरोपित की गयी शास्ति की राशि	वसूल की गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1					
2					

उपायुक्त आबकारी/
जिला आबकारी अधिकारी
....

पृष्ठां.क्रमांक वि.म.भां./2011–12/ दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मेसर्स .... की ओर उनके संदर्भित आवेदन पत्र दिनांक .... के संदर्भ में सूचनार्थ।

उपायुक्त आबकारी/
जिला आबकारी अधिकारी
....

प्रपत्र–चार

न्यूनतम विक्रय मूल्य (M.S.P.) तथा अधिकतम विक्रय मूल्य (M.R.P.) का गणना पत्रक

क्रम	लेबिल का नाम तथा पेटी में संग्रहित बोतल/कैन (नग) की धारिता व (पेटी में नगों की संख्या)	वर्ष 2012–13 के लिए विनिर्माता इकाई द्वारा घोषित प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	प्रति पेटी देय ड्यूटी की राशि	बेसिक लायसेंस फीस (प्रति पेटी देय ड्यूटी की राशि अर्थात कॉलम 4 का 122.2 प्रतिशत)	परिवहन फीस (विनिर्माता इकाई द्वारा घोषित प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर अर्थात कॉलम 3 का 8 प्रतिशत)	देय आयकर (घोषित प्रति पेटी एक्सविदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का क प्रतिशत	अन्य व्यय	प्रति पेटी परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य (कॉलम 3 से 8 तक का योग)	प्रति बोतल/कैन (नग) का उच्चतर पूर्णांक में परिगणित न्यूनतम विक्रय मूल्य	कॉलम 9 में लाभ का अनुमत्य प्रतिशत जोड़कर प्रति पेटी परिगणित अधिकतम विक्रय मूल्य	प्रति बोतल/कैन (नग) का उच्चतर पूर्णांक में परिगणित अधिकतम विक्रय मूल्य	संबंधित लेबिल की विगत वर्ष अर्थात वर्ष 2011–12 के लिए प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर।	नवीन लेबिल की स्थिति में वर्ष 2012–13 के लिए संबंधित लेबिल का लेबिल पंजीयन क्रमांक	पूर्व में पंजीकृत लेबिल की स्थिति में वर्ष 2012–13 के लिए लेबिल का पंजीयन नवीनीकरण क्रमांक	बोतल का प्रकार (कांच अथवा पेट)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																

(1) मूल में बोतल बंद (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट तथा वाईन) तथा मध्यप्रदेश राज्य में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के मामलों में कॉलम 4 तथा 5 की प्रविष्टि शून्य रहेगी।

(2) अन्य व्यय हेतु कॉलम 8 में बीयर को छोड़कर भारत निर्मित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) एवं आयातित विदेशी मदिरा स्पिरिट एवं वाईन के लिए रूपये 200/– प्रति पेटी की दर से प्रविष्टि की जाये। विदेशी मदिरा (बीयर) के लिए कॉलम 8 में अन्य खर्च, कॉलम 3 से कॉलम 7 तक के योग का 20 प्रतिशत परिगणित कर प्रविष्टि की जाये।

(3) मूल में बोतल बंद (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (बीयर) के लिए कॉलम 4 तथा 5 की प्रविष्टि शून्य रहेगी। कॉलम 8 में अन्य खर्च कॉलम 3, कॉलम 6 एवं कॉलम 7 के योग का 20 प्रतिशत परिगणित कर प्रविष्टि की जाये।

(4) कॉलम 9 में परिगणित प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** को पेटी में संग्रहित कुल बोतलों/कैन (नगों) की संख्या से विभक्त करने पर, कॉलम 10 में प्रति बोतल/कैन (नग) का न्यूनतम विक्रय मूल्य परिगणित होगा।

(5) कॉलम 9 में परिगणित प्रति पेटी न्यूनतम विक्रय मूल्य **(Minimum Selling Price- MSP)** में विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर तथा रेडी टू ड्रिंक आदि) की स्थिति में 30 प्रतिशत तथा बीयर की स्थिति में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने पर, कॉलम 11 में परिगणित उच्चतर पूर्णांक, उस लेबिल का प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** निर्धारित होगा।

(6) कॉलम 11 में परिगणित प्रति पेटी अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** में, पेटी में संग्रहित कुल बोतलों/कैन (नगों) की संख्या से विभक्त कर, कॉलम 12 में प्रति बोतल/कैन (नग) का अधिकतम विक्रय मूल्य **(Maximum Retail Price- MRP)** निर्धारित होगा।